न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 95/2022(मूल)/52/2025 (रिव्यू)/दावा/बउनवान/नवी हुसैन उर्फ नवी बक्सा बनाम राज0 सरकार

जीसीएमएस संख्या 2025/67

नवीहुसैन उर्फ नवी बक्स पुत्र लुकमान उर्फ जुम्मा जाति मुसलमान निवासी सीसवाली हाल निवासी तालाब गावं अनन्तपुरा कोटा जिला कोटा (राज0)

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. नवी हुसैन उर्फ फारूख उमर पुत्र लुकमान निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल
3. चन्दा बाई पत्नी बाबूलाल जाति धाकड निवासी शाहपुरा तहसील मांगरोल
4. हेमन्ती बाई पत्नी नरेश जाति धाकड निवासी शाहपुरा तहसील मांगरोल

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर टी.एक्ट

वकील वादी : श्री मनोज कुमार गालव
दायरा दिनांकः 25.02.2025

मूल निर्णय दिनांक 28.11.2024
रिव्यू निर्णय दिनांकः 09.04.2025

रिव्यू
निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि वादी ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल का निवासी है जो वर्तमान में अनन्तपुरा कोटा में निवास करता है जो कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है।
2. यह कि वादी के खाते की आराजी खाता संख्या 423 खसरा नं० 4699/5797 रकबा 0.80 हे०, कुल किता 1 कुल रकबा 0.80 हे०, वाके ग्राम सीसवाली पटवार क्षेत्र सीसवाली, तहसील मांगरोल में स्थित है, उपरोक्त वर्णित खाता आराजीयात में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त वर्णित आराजीयात में वादी का नाम नवीहुसैन पुत्र लुकमान दर्ज हो रहा है।
3. यह कि वादी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आदि में वादी का नाम नवी बक्स पुत्र जुम्मा दर्ज हो रहा है, जो वादी का वास्तविक नाम है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड उपरोक्त खाता जमाबन्दी में अपना नाम नवीहुसैन पुत्र लुकमान के स्थान पर नवीहुसैन उर्फ नवी बक्स पुत्र लुकमान उर्फ जुम्मा दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है।
4. यह कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में नवीहुसैन पुत्र लुकमान दर्ज होने से व अन्य दस्तावेज में नवीबक्स पुत्र जुम्मा दर्ज होने से वादी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में नवीहुसैन उर्फ नवी बक्स पुत्र लुकमान उर्फ जुम्मा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसका वादी अधिकारी व नालिसी है।

5. यह कि वादी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सही करवाने हेतु तहसीलदार साहब मांगरोल के समक्ष प्रार्थना–पत्र भी पेश किया किन्तु उनके द्वारा दावा श्रीमान के समक्ष पेश करने हेतु दिनांक 12.06.2022 को कहने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है।
6. यह कि वादग्रस्त आराजी ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।
7. यह कि वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि आराजी खाता संख्या 423 खसरा नं0 4699/5797 रकबा 0.80 हे०, कुल किता 1 कुल रकबा 0.80 हे०, वाके ग्राम सीसवाली पटवार क्षेत्र सीसवाली तहसील मांगरोल में स्थित खाता आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम नवीहुसैन पुत्र लुकमान के स्थान पर नवीहुसैन उर्फ नवी बक्स पुत्र लुकमान उर्फ जुम्मा दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे वादी को दिलाई जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादी को तलब किया। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट दिनांक 25.11.2024 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी सीसवाली के अनुसार एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया खाते में प्रार्थी का नाम नवीहुसैन पुत्र लुकमान हिस्सा पूर्ण जाति मुस्लमान खातेदार दर्ज है जबकि प्रार्थी द्वारा दजस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचयात सीसवाली प्रमाण पत्र में नवी बक्स दर्ज है।

अतः रिपोर्ट पटवारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर नवीहुसैन उर्फ नवीबक्स पुत्र लुकमान उर्फ जुम्मा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

उक्त तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सीसवाली खाता संख्या 423 में वादी का नाम नवी हुसैन उर्फ नवी बक्स पुत्र लुकमान उर्फ जुम्मा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु दिनांक 28.11.2024 को तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये गये।

प्रार्थी नवी हुसैन उर्फ उमर फारूख पुत्र लुकमान द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते रिव्यू किये जाने निर्णय दिनांक 25.02.2025 को पेश किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1. यह कि उपरोक्त उनवान के मुकदमे में प्रार्थी उमर फारूक उर्फ नवी हुसैन पुत्र लुकमान असल वादग्रस्त संपत्ति का रजिस्टर्ड स्वामी व आधिपत्यधारी था। वादी ने षडयंत्रपूर्वक न्यायालय श्रीमान में कार्यवाही करके तथ्य छुपाकर अपने पिता का नाम जुम्मा अली व स्वयं का नाम नवी बख्श होने के बावजूद दूषित वाद प्रस्तुत कर अपने पक्ष में घोषणा करवा ली।
2. यह कि वाद में रिपोर्ट हलका पटवारी सीसवाली द्वारा स्पष्ट रूप से नवी बख्श पुत्र जुम्मा को पृथक व भिन्न व्यक्ति मानकर स्पष्ट रिपोर्ट पेश की है किंतु तहसीलदार रिपोर्ट में सहवन से रिपोर्ट हलका पटवारी की रिपोर्ट का हवाला देकर मिलीभगत से गलत रिपोर्ट दस्तावेज का हवाला देकर अपने पक्ष में गलत निर्णय करवा लिया है।
3. यह कि प्रस्तुत वाद में पृथक–पृथक व्यक्ति होने का तथ्य आने पर पार्टी व लुकमान के एकमात्र वारिस को पक्षकार बनाकर सुना जाना आवश्यक था। प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। प्रार्थी के पिता संपूर्ण सीसवाली में एक ही व्यक्ति हैं और प्रार्थी ही इस नाम का

एकमात्र व्यक्ति है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त निर्णय का पुनरावलोकन किया जाने का आदेश प्रदान करें।

रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 25.2.2025 को प्राप्त हो गया था जो कि 90 दिवस के अवधि से पूर्व था। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पुनः दर्ज किया गया। प्रकरण में नवी हुसैन उर्फ उमर फारूख पुत्र लुकमान द्वारा आराजी हेमन्ती बाई एवं चन्दा बाई को दिनांक 02.12.2024 को बेचान कर दी गयी थी जो कि वादग्रस्त आराजी की वर्तमान खातेदार हैं जिन्हें आवश्यक पक्षकार होने के कारण नोटिस जारी कर सुना जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण के रूप में रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रार्थी नवी हुसैन पुत्र लुकमान, चन्दा बाई पत्नी बाबूलाल, हेमन्ती बाई पत्नी नरेश कुमार को प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के रूप में संयोजित किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तलब किया गया। वादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। वादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। स्वयं उपस्थित आयी। अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया है। पक्षकारान अपना पक्ष स्वयं प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। रिव्यू प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के पत्र कमांकःराजस्व/खाते/सनद/2017/31 दिनांक 08.06.2017 का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि नवी हुसैन पुत्र लुकमान को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सीसवाली खसरा सं. 4699/5797 रकबा 0.80 हे0 साबिक नं. 2992 रकबा 5 बीघा दिनांक 22.06.1989 को आवंटित की गई थी। अतः स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी नवी हुसैन पुत्र लुकमान नाम के व्यक्ति को आवंटित हुई थी एवं आराजी जिस नाम से आवंटित की जाती है उसे परिवर्तित नही किया जा सकता है। यदि वादी को नाम परिवर्तन कराना ही था तो वह तत्समय ही मूल आवंटन आदेश में, गैर खातेदारी दर्ज होते समय अथवा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त होते समय उज्र कर नाम सही करा सकता था। वादी द्वारा दिनांक 24.06.2022 को वाद दर्ज कराया गया जो कि आवंटन तिथि दिनांक 22.06.1989 से 33 वर्षो की देरी से कराया गया था और इस देरी का कोई जस्टिफिकेशन भी नही दिया गया जिससे स्वतः स्पष्ट है कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में अपने विभिन्न आदेशों में यह मत प्रकट किया है कि यदि वादी साफ हाथों से न्यायालय नहीं आता है तो उसे सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है और वह कोई राहत भी नहीं मांग सकता है।

पटवारी रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

मुताबिक जमाबंदी सवत् 2073—2076 व 2076—2079 (वर्ष 2020 से स्थायी में सीसवाली खाता संख्या 423 पर नवीहुसैन पुत्र लुकमान हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान खातेदार दर्ज है जिसमें पहचान पत्र में नवीहुसैन के स्थान नवीबक्श व पिता लुकमान के स्थान पर जुम्मा दर्ज है अतः दोनों नाम भिन्न—भिन्न होने सही प्रतीत नहीं है। शुद्वि किया जाना उचित नहीं है। मुताबिक पटवारी रिर्पोट व रिकार्ड व आधार पहचान भिन्न भिन्न होने से नाम शुद्वि किया जाना उचित नहीं है।(पटवारी रिपोर्ट)

पटवारी रिपोर्ट में वाद को स्वीकार नहीं करने की प्रार्थना की गई थी किंतु तहसीलदार रिपोर्ट उसके विरोधाभासी है और वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की थी जिसके आधार पर वाद स्वीकार दिया गया था जो रिकॉर्ड की गलती से हुआ है जिसका संशोधन आवश्यक है। अतः इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 95/2022 बउनवान नवी हुसैन उर्फ

नदी बक्श बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2024 रिव्यू किया जाकर निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि यदि वादग्रस्त आराजी ग्राम सीसवाली के खाता सं0 नया 45 पुराना 1162 खसरा सं. 4699/5797 रकबा 0.80 हे0 के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2024 की यदि पालना कर दी गई हो तो उस एन्ट्री को खाते से विलोपित कर पुनः दिनांक 28.11.2024 की स्थिति बहाल करें अथवा यदि निर्णय दिनांक 28.11.2024 की पालना नहीं की गई हो तो खाते की वर्तमान स्थिति बहाल रखी जावे। उक्त आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय ब इजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 95/2022(मूल)/52/2025 (रिव्यू)/दावा/बउनवान/नवी हुसैन उर्फ नवी बक्स बनाम राज0 सरकार

जीसीएमएस संख्या 2025/67

मूल निर्णय दिनांक 28.11.2024

रिव्यू निर्णय दिनांकः 09.04.2025

बउनवानः–

नवीहुसैन उर्फ नवी बक्स पुत्र लुकमान उर्फ जुम्मा जाति मुसलमान निवासी सीसवाली हाल निवासी तालाब गावं अनन्तपुरा कोटा जिला कोटा (राज0)

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. नवी हुसैन उर्फ फारूख उमर पुत्र लुकमान निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल
3. चन्दा बाई पत्नी बाबूलाल जाति धाकड निवासी शाहपुरा तहसील मांगरोल
4. हेमन्ती बाई पत्नी नरेश जाति धाकड निवासी शाहपुरा तहसील मांगरोल

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

वकील वादी : श्री मनोज कुमार गालव

प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.04.2025 को अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते रिव्यू निर्णय पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 95/2022 बउनवान नवी हुसैन उर्फ नवी बक्श बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2024 रिव्यू किया जाकर निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि यदि वादग्रस्त आराजी ग्राम सीसवाली के खाता सं0 नया 45 पुराना 1162 खसरा सं. 4699/5797 रकबा 0.80 हे0 के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2024 की यदि पालना कर दी गई हो तो उस एन्ट्री को खाते से विलोपित कर पुनः दिनांक 28.11.2024 की स्थिति बहाल करे अथवा यदि निर्णय दिनांक 28.11.2024 की पालना नहीं की गई हो तो खाते की वर्तमान स्थिति बहाल रखी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पअर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुकमनामा			बबत इजराय हुकमनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।